भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1746

05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत तमिलनाडु में स्वीकृत आवासीय इकाइयां

†1746. श्री दयानिधि मारनः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु राज्य के लिए मद-वार और वर्ष-वार कुल कितनी आवासीय इकाइयां स्वीकृत की गई हैं और कुल कितनी धनराशि संवितरित/आवंटित की गई;

(ख) तमिलनाडु में लंबित आवासीय इकाइयों को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) ग्रामीण आवास और शहरी आवास के लिए वित्तीय सहायता की वर्तमान स्थिति क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों, जो प्रायः अत्यधिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हैं, के लिए काफी कम वित्तपोषण प्रदान किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार तमिलनाडु में भारी वर्षा के दौरान मकानों के ढह जाने की घटनाओं के मद्देनजर संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा-रोधी आवास के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पीएमएवाई के अंतर्गत निर्मित आवासीय इकाइयों की गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र विद्यमान है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, 'सभी के लिए आवास' के दृष्टिकोण के तहत, देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयासों में सहायता करता है। इस योजना को चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास

(एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। योजना के ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना घटक को छोड़कर इस योजना को 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि स्वीकृत सभी आवासों को वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना पूरा किया जा सके। मंत्रालय मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर), मासिक समीक्षा बैठकों और केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठकों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन की स्थिति की नियमित समीक्षा करता है। तमिलनाडु राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के अनुसार विस्तारित मिशन अवधि के भीतर सभी स्वीकृत आवासों के निर्माण में तेजी लाने की सलाह दी गई है। प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत तमिलनाडु राज्य को स्वीकृत आवासों तथा स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता का वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से देश भर के शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ परिवारों को किफायती लागत पर आवास बनाने, खरीदने और किराए पर लेने में सहायता करना है। आज तक, 29 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने 17.09.2024 को जारी किए गए योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने हेतु सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं और यह https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर उपलब्ध है। तमिलनाडु राज्य ने अभी तक पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

(ग) पीएमएवाई-यू के तहत, भारत सरकार आईएसएसआर के तहत 1.0 लाख रुपए, पीएमएवाई-यू के एएचपी और बीएलसी घटकों के लिए 1.5 लाख रुपए की केंद्रीय सहायता के रूप में अपना निश्चित हिस्सा प्रदान करती है। पीएमएवाई-यू के सीएलएसएस घटक के तहत, ब्याज सब्सिडी के रूप में प्रति आवास 2.67 लाख रुपए तक की अग्रिम सब्सिडी दी जाती है। डीपीआर के अनुसार आवास की शेष लागत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/लाभार्थियों द्वारा साझा की जाती है।

प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मैदानी क्षेत्रों में 60:40 के अनुपात में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 90:10 के अनुपात में 1.30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, मनरेगा के साथ तालमेल के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 90 दिनों का अकुशल श्रम उपलब्ध कराया जाता है, तथा दुर्गम क्षेत्रों और पहाड़ी राज्यों में 95 दिनों का अकुशल श्रम उपलब्ध कराया जाता है। पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए एसबीएम (जी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) या किसी अन्य समर्पित वित्त पोषण स्रोत से 12,000 रुपये की सहायता भी मिलती है। पीएमएवाई-जी के तहत इकाई सहायता की राशि केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार तय की गई है।

(घ) और (ङ) योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएमएवाई-यू मिशन के अंतर्गत आवासों को भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन आदि से संरचनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन और निर्मित किया जाना चाहिए, जो राष्ट्रीय भवन संहिता और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की प्रासंगिक संहिताओं के अनुरूप हो। मिशन में एक प्रौद्योगिकी उप-मिशन भी शामिल है, जिसका उद्देश्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को विभिन्न भू-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त लेआउट डिजाइन और भवन योजनाओं को अपनाने के लिए आधुनिक, नवीन, आपदा प्रतिरोधी और हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सुविधा प्रदान करना है। पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत नवीन, पर्यावरण अनुकूल और आपदा प्रतिरोधी निर्माण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके निर्मित परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (टीआईजी) का भी प्रावधान किया गया है।

पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत आवासों की गुणवत्ता और स्थायित्व की प्रभावी निगरानी के लिए, योजना के तहत चल रही सभी परियोजनाओं की तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी (टीपीक्यूएम) अनिवार्य है। ऐसी एजेंसियों से आवासों की गुणवत्ता पर प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, राज्य और शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियां (आईए) यह सुनिश्चित करने के लिए निवारक और उपचारात्मक दोनों उपाय करती हैं कि पीएमएवाई-यू के अंतर्गत मानक गुणवत्ता वाले आवासों का निर्माण किया जाए।

*****

दिनांक 05-12-2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1746 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत तमिलनाडु राज्य में वास्तविक और वित्तीय प्रगति का वर्ष-वार विवरण

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत आवास (सं.)	निर्माणाधीन आवास (संख्या)*	पूर्ण आवासों का निर्माण (संख्या)*	स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रु. में)	जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)
2015-16	32,488	11,341	1,693	548.2	129.35
2016-17	94,745	46,462	5,617	1424.04	637.72
2017-18	1,13,425	1,43,839	33,718	1722.67	1,194.00
2018-19	1,30,822	1,35,762	1,57,451	2,079.10	1408.78
2019-20	1,04,072	1,13,112	66,088	1799.97	1992.3
2020-21	84,793	93,732	1,20,143	1470.5	1,575.24
2021-22	75,552	38,409	51,877	1324.94	1,578.91
2022-23	32,519	58,096	84,296	636.92	722.15
2023-24	11,931	18,270	40,322	178.96	877.57
2024-25	शून्य	5,622	25,912	शून्य	72.57
कुल योग	**6,80,347**	**6,64,645**	**5,87,117**	**11,185.30**	**10188.58**

* इसमें उस वर्ष में निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके वे आवास शामिल हैं, जो पूर्ववर्ती वर्षों में स्वीकृत किए गए थे।